न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं0 27/2022

रामकरण पुत्र गंगाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंथल जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार सैंथल दिनांक 22.8.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकरण प्रकरण सं0 12/2022 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री चरणसिंह डोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 08.06.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 22.8.2022 को ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल के आ0ख0न0 1173/1171 रकबा 0.06है. किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का निर्णय पारित कर दिया गया। इसी निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का काबलेश्वर ने अपीलांट के विरूद्ध एक रिपोर्ट तहसीलदार सैंथल को इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1173/1171 रकबा 0.05है. पर बाजरा बुवाई कर व बाउंड्री कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना आरोपित शास्ति से अधिरोपित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस अपीलांट को नहीं मिला है ना ही अपीलांट की असालतन तामील हुई है। बिना तामील हुए अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 415, 416 उक्त चरागाह भूमि खसरा नंबर 1173/1171 के लगती हुई है। अपीलांट ने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 415 व 416 में मकान बना रखा है। पटवारी हल्का द्वारा बिना भूमि का सीमाज्ञान कराये अपीलांट का चरागाह भूमि में अतिक्रमण बताकर सरासर सरासर झूंठी रिपोर्ट पेश की है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में ढूंठी मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट को बिना वजह परेशान किया गया है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के समक्ष भूमि का मौका नही देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है ना ही इसका कोई [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अपीलांट का पूर्व में भी कोई [illegible] साबित नहीं है वर्तमान में अतिक्रमण है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई एवं पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर भी नहीं दिया। बिना रिपोर्ट प्रदर्शित हुए रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का

.....निरन्तर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैंथल का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.8.2022 जो मु.नं. 12/2022 पर पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का काबलेश्वर द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से उसका पुत्र अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2079 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1173/1171 रकबा 0.06है0 पर बाजरा, पुख्ता बाउंड्री बनाकर कब्जा किया जाना अंकित है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का काबलेश्वर द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का पुत्र नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन सत्य नही है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि खसरा नंबर 1173/1171 के रकबा 0.06है. पर बाजरा,व पुख्ता बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में नया अतिक्रमण होना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर नया अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना अधिकार के बाजरा, व पुख्ता बाउंड्री बनाकर अतिचार किया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम अपील अपीलांट खारिज किये हजाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.8.2022 आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट की पत्नि के नाम चरागाह भूमि के लगती हुई खातेदारी भूमि होने से हम अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाना उचित समझते हुए तहसीलदार सैंथल को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट की बेदखली से पूर्व राजकीय चरागाह भूमि एवं अपीलांट की खातेदारी भूमि का अपीलांट की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:55:23 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 8 जून 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा